

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:—प.17(22)नविवि/नियम/2024

जयपुर, दिनांक:

आदेश

राजस्थान नगर सुधार न्यास (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 14-ए, व 17(6-ए) में प्राधिकरण/न्यास द्वारा आवंटित/नीलामी से विक्रय किये भूखण्डों पर निर्धारित समयावधि में निर्माण किये जाने एवं अतिरिक्त समयावधि विस्तार का प्रावधान है एवं राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 26 में भी इसी आशय के प्रावधान है।

राजस्थान नगर सुधार न्यास (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समयावधि में कार्यवाही नहीं किये जाने पर भूखण्डों के आवंटन निरस्त होने के प्रावधान दिये गये हैं।

उक्त नियमों में उल्लेखित प्रावधानान्तर्गत, पूर्व में राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्णय लिया जाकर, पुनर्ग्रहण राशि की गणना एवं निर्माण अवधि हेतु तिथि निर्धारित की जाकर विकास प्राधिकरण/न्यास को अधिकृत किया जाता रहा है।

उक्त सभी परिस्थितियों को देखते हुए, सक्षम स्तर से लिये गये निर्णयानुसार पुनर्ग्रहण राशि की गणना दिनांक 31.03.2026 तक कर, निर्माण अवधि दिनांक 31.03.2027 तक बढ़ाये जाने हेतु विकास प्राधिकरण/न्यास को अधिकृत किया जाता है।

यहां यह भी निर्देशित किया जाता है कि इस संबंध में विभागीय अधिसूचना दिनांक 17.09.2021 जारी की गई है। उक्त अधिसूचना में सुसंगत नियमों में उल्लेखित प्रावधानों की अक्षरशः पालना किया जाना भी सुनिश्चित करें।

उक्त आदेश तुरन्त प्रवृत्त होगा, किन्तु पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जायेगा व जमा राशि पुनः लौटाई नहीं जायेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)

शासन उप सचिव—प्रथम

प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. आयुक्त/सचिव, समस्त विकास प्राधिकरण।
7. शासन उप सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग जयपुर।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त, राजस्थान।
10. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी/वरिष्ठ नगर नियोजक नविवि।
11. सहा. निदेशक/प्रोग्रामर, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

Signature valid

शासन उप सचिव—प्रथम  
Digitally signed by Ravi Vijay  
Designation: Deputy Secretary To  
Government  
Date: 2026.04.28 17:53:25 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:  
21868806

M e-Sign

